संख्या-01/2026/पी-354/38-7-26/002-38 9002 099 10 2024

प्रेषक,

यागेश चन्द्र दीक्षित,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2026**

विषय:-जनपद-संत रविदास नगर में पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत एफ0डी0आर0 तकनीक से निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण में बाधक युटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं बाधक वृक्षों के पातन) हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7583/टी-251(1)/यूपीआरआरडीए/2023-24, दिनांक-04.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-07/2023/पी-68/005-38-9002-002-7-2022, दिनांक 23.03.2023 द्वारा जनपद सीतापुर हेतु बाधक युटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत पोल शिफ्टिंग) के लिए स्वीकृत धनराशि रू0 5,20,12,743.00 (रूपये पॉच करोड़ बीस लाख बारह हजार सात सौ तैंतालिस मात्र) के सापेक्ष हुई बचत रू0 1,16,16,755.00 एवं जनपद आगरा एवं झॉसी हेतु बाधक युटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत पोल शिफ्टिंग) का कार्य अपरिहार्य कारणों से न कराये जाने के कारण क्रमश: स्वीकृत धनराशि रू0 20,33,243.00, धनराशि रू0 5,21,756.00 की बचत अर्थात् रू0 1,41,71,754.00 कुल बचत हो रही है।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक-04.07.2025 द्वारा जनपद-संत रविदास नगर में पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत एफ0डी0आर0 तकनीक से निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण में बाधक युटिलिटी (विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं बाधक वृक्षों के पातन) हेतु क्रमश: रू0 688.29 लाख एवं रू0 15,08,730.00 अर्थात कुल रू0 7,03,37,730.00 (रूपये सात करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार सात सौ तीस मात्र) की धनराशि को उपरोक्त बचत रू0 1,41,71,754.00 को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 5,61,65,976.00 को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध निम्नानुसार किया गया है:-

बाधक विद्युत पोल शिफ्टिंग के सम्बन्ध में-

(रूपये लाख में)

Sr. No.	District Name	Package No.	Road Name	Required Amount
1		UP6155	MRL14-GOPIGANJ-MIRZAPUR ROAD JAGANNATHPUR TO DERAWA MULAPUR BARJEE	117.92
2		UP6157	MRL12-Bhadohi- Durgaganj Rd Vishwakarma Temple to Sanakdeeh-Nagua	102.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	Sant Ravidas Nagar	UP6158	T04-Bhadohi to Umari Road	102.46
4		UP6161	MRL14-Nai Bazar St. Marry school to Chhitauna Bridge via Raimalpur	38.88
5		UP6156	MRL11-G.T.Rd 729 Km.st. to Kurmaicha-Vishnathpur upto SuNagar-Rohi	26.55
6		UP6159	MRL14-G.T. Road Kalinjara Road to Jajpur-Manshahpur via Block H.Q.	15.16
7		UP6152	T04-Gopiganj-Gyanpur Rd.to Garibi KaTara via BaidaKhas-Ghatampur	22.97
8		UP6162	T08-Kripalpur Bithauli Border to Basvapur Bhikhmapur upto SK.Rd	51.36
9		UP6160	MRL09-Gyanpur-Lalanagr Rd. to Akelwa via Bhidiura-Shripur PMGSY	41.58
10		UP6154	T07-Suriyawa-BDH to Chakia-Mangura-Chaugana Road via Chhataripur	85.24
11		UP6153	MRL11-Suriya-Durgnj-Chhanaura to Abhiya via Patti Bejanv	83.22
			Total	**688.29**

<u>वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में-</u>

Sr. No.	District Name	Package No.	Road Name	Required Amount
1	Sant Ravidas Nagar	UP6155	MRL14-GOPIGANJ-MIRZAPUR ROAD JAGANNATHPUR TO DERAWA MULAPUR BARJEE	54100.00
2		UP6157	MRL12-Bhadohi- Durgaganj Rd Vishwakarma Temple to Sanakdeeh-Nagua	121150.00
3		UP6158	T04-Bhadohi to Umari Road	109250.00
4		UP6161	MRL14-Nai Bazar St. Marry school to Chhitauna Bridge via Raimalpur	118650.00
5		UP6156	MRL11-G.T.Rd 729 Km.st. to Kurmaicha-Vishnathpur upto SuNagar-Rohi	268750.00
6		UP6159	MRL14-G.T. Road Kalinjara Road to Jajpur-Manshahpur via Block H.Q.	433000.00
7		UP6152	T04-Gopiganj-Gyanpur Rd.to Garibi KaTara via BaidaKhas-Ghatampur	82080.00
8		UP6162	T08-Kripalpur Bithauli Border to Basvapur Bhikhmapur upto SK.Rd	186390.00
9		UP6160	MRL09-Gyanpur-Lalanagr Rd. to Akelwa via Bhidiura-Shripur PMGSY	24730.00
10		UP6154	T07-Suriyawa-BDH to Chakia-Mangura-Chaugana Road via Chhataripur	34760.00
11		UP6153	MRL11-Suriya-Durgnj-Chhanaura to Abhiya via Patti Bejanv	75870.00
			Total	**15,08,730.00**

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-संत रविदास नगर में पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत एफ0डी0आर0 तकनीक से निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण में बाधक युटिलिटी (विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं बाधक वृक्षों के पातन) के हेतु क्रमशः रू0 688.29 लाख एवं रू0 15,08,730.00 अर्थात कुल रू0 7,03,37,730.00 (रूपये सात करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार सात सौ तीस मात्र) की धनराशि को उपरोक्त बचत रू0 1,41,71,754.00 को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 5,61,65,976.00 (रूपये पॉच करोड़ इकसठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ छिहत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ इस बात का ध्यान रखेंगे कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे संबधित विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 5,61,65,976.00 (रूपये पॉच करोड़ इकसठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 5054043370201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0-ई0-2-123-X-2025-26, दिनांक 29.12.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

संख्या-01/2026/पी-354/38-7-26/002-38 9002 099 10 2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- श्री चन्द्रिका प्रसाद (नोडल अधिकारी), उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस वित्तीय स्वीकृति को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन निर्गत किये जाने तथा ऑनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-08, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।